

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -304/2023
अनवान : -

1. संजय कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप खोथ जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र भादरराम खोथ जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. मंजू पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. धापा पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. चन्द्रकला पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89
उपस्थिति :- श्री रविन्द्र अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 15.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 94/92 के की कुल 3.2830 है0 भूमि व खाता संख्या 100/97 की कुल 5.0600 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 80 हि0 80 के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 94/92 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.2830 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 80 हि0 80 काबिज है व 7 केएनएन के खाता संख्या 100/97 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब इकबाल पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा आपसी राजीनामा/ईकबाल मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 94/92 के की कुल 3.2830 है0 भूमि व खाता संख्या 100/97 की कुल 5.0600 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 94/92 की कुल 3.2830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 7 केएनएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 5.0600 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...15/5/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-गुडिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -304/2023

अनवान : -

1. संजय कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप खोथ जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र भादरराम खोथ जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. मंजू पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. धापा पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. चन्द्रकला पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 305 सन 2023 निर्णय दिनांक 15.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 94/92 की कुल 3.2830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 7 केएनएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 5.0600 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.5.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-गुडिया